राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद संख्या–28 (लो0सू0अ0)/2022–23

श्री अजय कुमार चौरसिया, बंगला नं॰:–85, आनन्द बाजार, दानापुर कैंट, सरकुलर रोड, जिला–पटना, पिन कोड–801503

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
28.06.2022	श्री अजय कुमार चौरसिया, बंगला नं॰:–85, आनन्द बाजार, दानापुर कैंट, सरकुलर रोड, जिला–पटना, पिन कोड–801503 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–27.06.2022 इस कार्यालय में दिनांक–27.06.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–58F 976802 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलकर्त्ता श्री अजय कुमार चौरसिया ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–19.05.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दी गई सूचना से असंतुष्ट होने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–19.05.2022 की प्रति संलग्न की है। अतः लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–19.05.2022 से संबंधित अभिलेख की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–.12.07.2022. को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 28/6/2022 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	

अपील वाद संख्या—28 / 2022—23

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
12.07.2022	लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी अपीलार्थी श्री अजय कुमार चौरसिया, बंगला नं॰:—85, आनन्द बाजार, दानापुर कैंट, सरकुलर रोड, जिला—पटना, पिन कोड—801503 से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत समर्पित प्रपत्र 'क' दिनांक—19.05.2022 (20.05.2022), जो दिनांक—23.05.2022 को इस सचिवालय में पंजीकृत किया गया है। संलग्न प्रपत्र 'क', दिनांक—06.05.2022 एवं 11.04.2022 में कृत कार्रवाई की सूचना की मॉग की गई है। प्रशाखा पदाधिकारी—सह—लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि राज्यपाल सचिवालय के जन शिकायत कोषांग के पत्रांक—23 दिनांक—21.04.2022 के माध्यम से आवेदक से प्राप्त आवेदन दिनांक—11.04.2022 को लोक शिकायत निवारण केन्द्र, सूचना भवन, बेली रोड, पटना को भेजा गया है। प्रशाखा पदाधिकारी—सह—लोक सूचना पदाधिकारी, जन शिकायत, राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक—79 दिनांक—02.05.2022 के माध्यम से आवेदक को कृत कार्रवाई की सूचना उपलब्ध करा दी गई है। प्रशाखाा पदाधिकारी—सह—लोक सूचना पदाधिकारी ने पुनः राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक—94 दिनांक—25.05.2022 के माध्यम से प्राप्त आवेदन के संबंध में सूचित किया गया है कि '' अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है, जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है अथवा उनके नियंत्रण में है। केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है''। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अब जबकि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रपत्र 'क' में मॉगी गई सूचना के क्रम में राज्यपाल सचिवालय में उपलब्ध सभी सूचना का प्रेषण किया जा चुका है, तब प्रश्नगत अपील वाद में अग्रतर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें। 12/7/2022 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **—सह—** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	

अपील वाद संख्या–28 / 2022–23

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
12.07.2022	लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी अपीलार्थी श्री अजय कुमार चौरसिया, बंगला नं॰–85, आनन्द बाजार, दानापुर कैंट, सरकुलर रोड, जिला–पटना, पिन कोड–801503 से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत समर्पित प्रपत्र 'क' दिनांक–19.05.2022 (20.05.2022), जो दिनांक–23.05.2022 को इस सचिवालय में पंजीकृत किया गया है। संलग्न प्रपत्र 'क' में दिनांक–06.05.2022 एवं 11.04.2022 को दिए गए आवेदन पर कृत कार्रवाई की सूचना की मॉग की गई है। प्रशाखा पदाधिकारी–सह–लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि राज्यपाल सचिवालय के जन शिकायत कोषांग के पत्रांक–23 दिनांक–21.04.2022 के माध्यम से आवेदक से प्राप्त आवेदन दिनांक–11.04.2022 को लोक शिकायत निवारण केन्द्र, सूचना भवन, बेली रोड, पटना को भेजा गया है। प्रशाखा पदाधिकारी–सह–लोक सूचना पदाधिकारी, जन शिकायत, राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक–79 दिनांक–02.05.2022 के माध्यम से आवेदक को कृत कार्रवाई की सूचना उपलब्ध करा दी गई है। प्रशाखाा पदाधिकारी–सह–लोक सूचना पदाधिकारी ने पुनः राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक–94 दिनांक–25.05.2022 के माध्यम से प्राप्त आवेदन के संबंध में सूचित किया गया है कि '' अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है, जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है अथवा उनके नियंत्रण में है। केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है''। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अब जबकि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रपत्र 'क' में मॉगी गई सूचना के क्रम में राज्यपाल सचिवालय में उपलब्ध सभी सूचना का प्रेषण किया जा चुका है, तब प्रश्नगत अपील वाद में अग्रतर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें। **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	

अपील वाद संख्या–28 / 2022–23

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
12.07.2022	लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी अपीलार्थी श्री अजय कुमार चौरसिया, बंगला नं॰:–85, आनन्द बाजार, दानापुर कैंट, सरकुलर रोड, जिला–पटना, पिन कोड–801503 से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत समर्पित प्रपत्र 'क' दिनांक–19.05.2022 (20.05.2022), जो दिनांक–23.05.2022 को इस सचिवालय में पंजीकृत किया गया है। संलग्न प्रपत्र 'क' में दिनांक–06.05.2022 एवं 11.04.2022 को दिए गए आवेदन पर कृत कार्रवाई की सूचना की मॉग की गई है। प्रशाखा पदाधिकारी–सह–लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि राज्यपाल सचिवालय के जन शिकायत कोषांग के पत्रांक–23 दिनांक–21.04.2022 के माध्यम से आवेदक से प्राप्त आवेदन दिनांक–11.04.2022 को लोक शिकायत निवारण केन्द्र, सूचना भवन, बेली रोड, पटना को भेजा गया है। प्रशाखा पदाधिकारी–सह–लोक सूचना पदाधिकारी, जन शिकायत, राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक–79 दिनांक–02. 05.2022 के माध्यम से आवेदक को कृत कार्रवाई की सूचना उपलब्ध करा दी गई है। प्रशाखाा पदाधिकारी–सह–लोक सूचना पदाधिकारी ने पुनः राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक–94 दिनांक–25.05.2022 के माध्यम से प्राप्त आवेदन के संबंध में सूचित किया गया है कि '' अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है, जो लोक प्रााधिकरण के पास पहले से मौजूद है अथवा उनके नियंत्रण में है। केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है''। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अब जबकि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रपत्र 'क' में मॉगी गई सूचना के क्रम में राज्यपाल सचिवालय में उपलब्ध सभी सूचना का प्रेषण किया जा चुका है, तब प्रश्नगत अपील वाद में अग्रतर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें। ह० 12/7/2022 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

ज्ञापांक– 865/रा०स०(iii) दिनांक–13-07-2022

प्रतिलिपि:– लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना / अपीलार्थी श्री अजय कुमार चौरसिया, बंगला नं॰:–85, आनन्द बाजार, दानापुर कैंट, सरकुलर रोड, जिला–पटना, पिन कोड–801503 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 13/7/2022

विशेष कार्य पदाधिकारी